

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम लसाडिया की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 30, 31 में रामस्वरूप एवं गंगाराम जाति धाड़ के स्थान पर अन्य सही हस्तावेजों से रामेश्वर धाल एवं गंगाराम धाड़ अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांक:-

(21/06/22)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम लसाडिया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 30, 31 में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न हस्तावेजों व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम रामेश्वर धाल है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. वि. धाल

पटवारी लसाडिया

उपखण्ड मण्डल

तह. शाहपुरा (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार


प्रार्थी द्वारा रा.भू.रा.अ. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी लसाडिया व भू.अ.नि. वि. धाल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम लसाडिया की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 की खाता संख्या 30, 31 में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप के बजाय रामेश्वर धाल किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

शाहपुरा(भीलवाड़ा)

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम लसाडिया जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 30, 31 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामेश्वर धाल संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।


 प्रभारी अधिकारी
 उपखण्ड मण्डल
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)

div